

195

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड म०प्र० ग्वालियर (बैंच

रीवा) (म०प्र०)



1. रमेश यादव तनय सुरेश यादव
2. उमेश यादव/तनय सुरेश यादव
3. दीनानाथ यादव तनय सुरेश यादव
4. श्रीमती सुक्खा यादव पत्नी सुरेश यादव
5. राजू यादव तनय सुरेश यादव
6. रोहित यादव नाबालिक जरिए बली सरपस्त माँ श्रीमती सुक्खा यादव सभी निवासी ग्राम मझगवाँ तह० मझगवाँ जिला सतना म०प्र०आवेदकगण

बनाम

1. रामकुमार गौतम (मृत) तनय स्व. ईश्वरदीन गौतम
- 1अ. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. रामकुमार गौतम
- ब. परमानन्द गौतम तनय स्व. रामकुमार गौतम
- स. मिथलेश कुमारी पत्नी स्व. जनक कुमार गौतम सभी निवासी मझगवाँ तह० मझगवाँ जिला सतना म.प्र.
- द. श्रीमती पार्वती पत्नी स्व. नत्थू उरमलिया पुत्री स्व. रामकुमार गौतम निवासी डुडौली थाना मारकुण्डी जिला चित्रकूट
2. राधेश्याम जायसवाल तनय गिरधारी लाल
3. पिताम्बर प्रसाद गर्ग तनय सतानंद गर्ग
4. राजेन्द्र कुमार गुप्ता तनय हीरालाल गुप्ता
5. वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी तनय सूरज प्रसाद त्रिपाठी सभी निवासी कर्बी जिला कर्बी उ०प्र०
6. शासन म०प्र०उत्तरवादी/गैरनिगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा. सं. 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय कमिश्नर रीवा (टी. धर्मराव) संभाग रीवा प्र.क. निगरानी/12/10-11 निर्णय दिनांक 09.04.12

क्रमशः.....2

रमेश यादव

कार

श्री सुकेश कुमार
सुकेश कुमार

रमेश यादव
रमेश यादव

R-1878-5112

तीने दिनांक मझगवाँ तह० मझगवाँ जिला सतना

सतना म०प्र०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1878-I/12

जिला-सतना

रमेश यादव वगैरः/मृतक राम कुमार गौतम वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक के वारिसान तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	